



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 393/ 2026

जान्हवीपुरम विकास समिति और अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : राजेश कुमार दुबे

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : भारत का अपर सलिसिटर जनरल, अखिलेश कुमार सिंह,
सीमा अग्रवाल, स्थायी अधिवक्ता, हर्ष वर्धन गुप्ता, मनोज कुमार
सिंह, सतीश कुमार राय, अजय सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ताओं द्वारा जनहित में दायर की गई इस याचिका में अनेक राहतों की मांग की गई है, हालांकि, दिनांक 08.01.2025 को अनुलग्नक-4 के रूप में प्रस्तुत अभ्यावेदन के अवलोकन से पता चलता है कि याचिका में की गई प्रार्थनाएं प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन की प्रकृति से पूरी तरह भिन्न हैं।
2. यदि याचिकाकर्ताओं को याचिका में उठाए गए किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो उन्हें कानून के अनुसार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा। अधिकारियों से संपर्क किए बिना जनहित याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

फरवरी 13, 2026

संदीप /ए के शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”